अमरोहा, 22 फरवरी, 2019, सू0वि0

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश मिश्र जी की अध्यक्षता में आज उनके कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2019 के दृष्टिगत सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि व मीडिया बन्धुओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होनें सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया करते हुये कहा कि दिनांक 23, 24 फरवरी 2019 को विशेष अभियान छूटे हुये मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने हेतु चलाया जा रहा है, अतः आप अपने अपने क्षेत्र के ऐसे नागरिक जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और किसी कारणवश अभी तक चलाये गये मतदाता पुनरीक्षण अभियान में सम्मिलित नही हो पाये हैं, तो आप स्वयं मोहल्ला वार, ग्रामवार निर्वाचक नामावलियों में चैक कर देख सकतें है, यदि नाम नही है तो संबंधित तहसीलों के बूथों पर बी0एल0ओ0 से फार्म–6 भरकर मतदाता का नाम सम्मिलित करा सकतें हैं।

उन्होनें कहा कि लोकतन्त्र की पहली सीढ़ी मतदाता सूची है, मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बाद ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। उन्होंने कहा कि मतदाता फोटो पहचान पत्र केवल पहचान का दस्तावेंज है, यदि निर्वाचक नामावली में मतदाता का नाम संबंधित पोलिंग स्टेशन में शामिल नही है तो मतदाता फोटो पहचान पत्र होना मताधिकार की गारन्टी नही देता है। उन्होनें सभी उपजिलाधिकारी/तहसीलदारों को निर्देशित करते हुये कहा कि इसके लिये विशेष अभियान चलाकर छूटे हुये मतदाताओं के नाम मतदाता में सम्मिलित करवायें।

जिलाधिकारी ने कहा कि 23, 24 फरवरी 2019 को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में जिन बी0एल0ओ0 की ड्यूटी जहां पर लगाई गई है, वहां पर अवश्य उपस्थित रहेगें, ताकि मतदाता अपने नाम की जांच कर सके।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) श्री गुलाबचन्द्र, उपजिलाधिकारी श्री मांगेराम, उपजिलाधिकारी श्री उद्भव त्रिपाठी, श्री विजय पंवार–भाजपा, श्री ऋषिपाल नागर–संयोजक लोकसभा भाजपा, श्री अजीम अहमद एड0–जिला प्रवक्ता सपा, चौ0 सुखबीर सिंह–जिलाध्यक्ष कांग्रेस, श्री रामौतार–जिलाध्यक्ष बसपा, श्री शाकै अमरोहवी–सी0पी0एम0 आदि सहित पत्रकार बन्धु उपस्थित थे।

जिला सूचना कार्यालय
अमरोहा।